राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. निगरानी संख्या 599/2014/हनुमानगढ

श्रीमती जयश्री पत्नि अरूण सेठिया
प्रापराईटर जयश्री ट्रेडिंग कम्पनी,
तहसील पीलाबंगा जिला हनुमानगढ — प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार.जरिये उप पंजीयक,पीलीबंगा
2.सचिव,कृषि उपज मण्डी समिति,पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ — प्रत्यर्थीगण

2. निगरानी संख्या 600/2014/हनुमानगढ

संजय कुमार पुत्र दिलीप चन्द
प्रापराईटर दिलीप चन्द संजय कुमार,पीलाबंगा
तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ — प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार.जरिये उप पंजीयक,पीलीबंगा
2.सचिव,कृषि उपज मण्डी समिति,पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ — प्रत्यर्थीगण

3. निगरानी संख्या 601/2014/हनुमानगढ

राजेन्द्र कुमार पुत्र संपत राम
प्रापराईटर संपत राम राजेन्द्र कुमार,पीलाबंगा
तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ — प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार.जरिये उप पंजीयक,पीलीबंगा
2.सचिव,कृषि उपज मण्डी समिति,पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ — प्रत्यर्थीगण

4. निगरानी संख्या 602/2014/हनुमानगढ

राजेन्द्र कुमार पुत्र लालचन्द
प्रापराईटर मै. लालचन्द राजेन्द्र कुमार,पीलाबंगा
तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ — प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार.जरिये उप पंजीयक,पीलीबंगा
2.सचिव,कृषि उपज मण्डी समिति,पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ — प्रत्यर्थीगण

5. निगरानी संख्या 603/2014/हनुमानगढ

संजीव सिह पुत्र हाकम सिंह
प्रापराईटर मै. कंग ट्रेडिंग कम्पनी,पीलाबंगा
तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ — प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार.जरिये उप पंजीयक,पीलीबंगा
2.सचिव,कृषि उपज मण्डी समिति,पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ — प्रत्यर्थीगण

6. निगरानी संख्या 604/2014/हनुमानगढ

अश्वीनी गर्ग पुत्र सतपाल गर्ग
प्रापराईटर मै. श्री राहुल ट्रेडिंग कम्पनी,पीलाबंगा
तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ — प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार.जरिये उप पंजीयक,पीलीबंगा
2.सचिव,कृषि उपज मण्डी समिति,पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ — प्रत्यर्थीगण

7. निगरानी संख्या 605/2014/हनुमानगढ

संजीव सिह पुत्र हाकम सिंह
प्रापराईटर मै. कंग ट्रेडिंग कम्पनी,पीलाबंगा
तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ — प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार.जरिये उप पंजीयक,पीलीबंगा
2.सचिव,कृषि उपज मण्डी समिति,पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ — प्रत्यर्थीगण

8. निगरानी संख्या 606/2014/हनुमानगढ

श्रीमती सपना पत्नि पुत्र राकेश कुमार
प्रापराईटर मै. राकेश एग्रो इण्डस्ट्रीज,पीलाबंगा
तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ — प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार.जरिये उप पंजीयक,पीलीबंगा
2.सचिव,कृषि उपज मण्डी समिति,पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ — प्रत्यर्थीगण

9. निगरानी संख्या 607/2014/हनुमानगढ

लीलाधर पुत्र जगदीश चन्द्र
प्रापराईटर मै. शिव ट्रेडिंग कम्पनी,पीलाबंगा
तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ — प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार.जरिये उप पंजीयक,पीलीबंगा
2.सचिव,कृषि उपज मण्डी समिति,पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ — प्रत्यर्थीगण

10. निगरानी संख्या 608/2014/हनुमानगढ

बीरबल पुत्र पृथ्वी राज
प्रापराईटर मै.त्रिलोक राम हरी राम,पीलाबंगा
तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ — प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार.जरिये उप पंजीयक,पीलीबंगा
2.सचिव,कृषि उपज मण्डी समिति,पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ — प्रत्यर्थीगण

11. निगरानी संख्या 609/2014/हनुमानगढ

अमित कुमार पुत्र मोहन लाल
प्रापराईटर मै.उदयपाल भीमराज,पीलाबंगा
तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ — प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार.जरिये उप पंजीयक,पीलीबंगा
2.सचिव,कृषि उपज मण्डी समिति,पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ — प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य.

उपस्थित ::

श्री रोहित सोनी व श्री राजेन्द्र बराड
अभिभाषक — ...प्रार्थीगण की ओर से
श्री अनिल पोखरणा
उप–राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थी विभाग की ओर से
श्री तेजेन्द्र सिंह, अभिभाषक — प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से

निर्णय दिनांक : 23.08.2016

निर्णय

उपरोक्त सभी ग्यारह निगरानी प्रार्थीगणों की ओर से राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 65 के अन्तर्गत कलेक्टर (मुद्रांक) हनुमानगढ (जिले आगे कलेक्टर (मुद्रांक) कहा जायेगा) के द्वारा प्रकरण संख्या 42/2012, 44/2012, 48/2012, 50/2012, 46/2012, 47/2012, 49/2012, 41/2012, 43/2012, 45/2012, 45/2012 एवं 210/2012 में पारित पृथक निर्णयों दिनांक 06.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। उपरोक्त निगरानियों में निर्णय हेतु विवादित एवं निहित बिन्दु एक समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियॉ पृथक–पृथक पत्रावलियों पर रखी जायें।

प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि नवीन मण्डी यार्ड,पीलीबंगा में दुकान मय गोदाम हेतु भूमि आवटित की गई थी, मूल आवंटी द्वारा दुकान एवं गोदाम निर्मित कर ली गई,जिसमें आगे बरामदा, दुकान व गोदाम तथा बरामदे के आगे 4 फुट पिड निर्मित किया गया। मूल आवंटी अस्वस्थ होने की वजह से कारोबार नहीं चला सकने के कारण दुकाने प्रार्थीयों निगराकारों को विक्रय कर विक्रय पत्र पंजीयन हेतु उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किये गये। उप पंजीयक ने विक्रय पत्रों को पंजीकृत करके पक्षकारों को लौट दिये। तत्पश्चात उप पंजीयक के ध्यान में लाया गया कि वर्णित दुकाने नवीन मण्डी यार्ड में स्थित जिसका पटटा कृषि उपज मण्डी समिति,पीलीबंगा द्वारा जारी कर आरक्षित दर से पंजीयन करवाया गया है परन्तु यह प्रथम विक्रय नहीं होकर द्वितीय विक्रय है, जिस पर जिला कमेटी द्वारा निर्धारित दर से मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क देय है। अतः उप पंजीयक द्वारा प्रार्थी निगराकारों को कमी मुद्रांक कर एवं कमी पंजीयन शुल्क जमा कराने हेतु नोटिस जारी किये गये, किन्तु नोटिस की पालना में कमी मुद्रांक कर एवं कमी पंजीयन शुल्क जमा नही कराने के कारण उप पंजीयक द्वारा मुद्रांक अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रस्तुत किये गये, जिनका निस्तारण कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा पृथक–पृथक आदेश दिनांक 06.01.2014 को पारित करते हुए उप पंजीयक के रेफरेन्स में अंकित मुद्रांक कर एवं पजीयन शुल्क क्रेता पक्षकारों से वसूल करने का निर्णय पारित किया। कलेक्टर (मुद्रांक) के निर्णय दिनांक 06.01.2014 से असन्तुष्ट होकर प्रार्थी निगराकारों द्वारा उपरोक्त ग्यारह निगरानी मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के साथ पेश की गई है।

विद्वान अभिभाषक का यह भी कहना है कि निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब के यथेष्ट एवं क्षमा योग्य कारणों सहित मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर दिया गया है। अतः मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना

पत्र मय शपथ पत्र में उल्लेखित कारणों को पर्याप्त एवं संतोषप्रद मानते हुए प्रार्थीयों की निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार की जावें।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन है कि प्रार्थी निगराकारों द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) के आदेश के विरूद्व निगरानी अत्याधिक विलम्ब से पेश की गई है तथा इस विलम्ब को कन्डोन करने हेतु प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में प्रत्येक दिवस में विलम्ब का उचित कारण नहीं बतलाया गया है। इसलिये निगरानी पेश करने का विलम्ब क्षमा योग्य नहीं होने से प्रार्थी निगराकारों की निगरानी मियाद बाहर मानते हुए खारिज की जावे। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का यह भी कथन है कि प्रार्थीयों द्वारा प्रस्तुत निगरानी में कलक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश की किसी भी तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिये प्रार्थीयों की निगरानी अस्पष्ट एवं सारहीन होने से खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में प्रार्थी निगराकारें द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) के निर्णय दिनांक 06.01.2014 के विरूद्व प्रस्तुत निगरानी के साथ पेश किये गये मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित कारणों को पर्याप्त एवं सतोषप्रद मानते हुए निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाकर सभी निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार की जाती हैं।

प्रार्थी निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि कलेक्टर (मुद्रांक) के विवादाधीन आदेश प्रकरण के तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है क्योंकि उन्होंने सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय पृथक–पृथक निर्णय दिनांक 06.01.2014 पारित किये, जो नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के विरूद्ध हैं। उनका यह भी कथन है कि किसी भी व्यक्ति को दण्डित करने से पूर्व उसे सुनवाई का समुचित नोटिस जारी किया जाना चाहिए परन्तु हस्तगत प्रकरणोंमें कमी मुंद्रांक कर एवं कमी पंजीयन शुल्क आरोपित करने से पूर्व उनको नोटिस जारी नहीं किया गया है। उनका कथन है कि आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा पृथक–पृथक निर्णय दिनांक 06.01.2014 पारित किये गये हैं,जो अनुचित हैं। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित किये गये पृथक–पृथक निर्णय दिनांक 06.01.2014 को अपास्त करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या एक की ओर से उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विद्वान कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा पृथक–पृथक निर्णय दिनांक 06.01.2014 पारित किये

गये, जो पूर्णतः उचित एवं विधिक है। उन्होंने प्रस्तुत निगरानियों को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया । प्रकरणों के तथ्यानुसार नवीन मण्डी यार्ड,पीलीबंगा में दुकान मय गोदाम हेतु भूमि आवटित की गई थी, मूल आवंटी द्वारा दुकान एवं गोदाम निर्मित कर ली गई,जिसमें आगे बरामदा, दुकान व गोदाम तथा बरामदे के आगे 4 फुट पिड निर्मित किया गया। मूल आवंटी अस्वस्थ होने की वजह से कारोबार नहीं चला सकने के कारण दुकानों को मूल आवन्टियों द्वारा उक्त दुकानों को प्रार्थी निगरानीकर्ताओं को विक्रय कर विक्रय पत्र पंजीयन हेतु उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किये गये। उप पंजीयक ने विक्रय पत्रों को पंजीकृत करके पक्षकारों को लौट दिये।

बहस के दौरान प्रार्थी निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी सुनवाई के समय कथन किया गया है कि उप पंजीयक द्वारा बिना किसी कारण और बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही कमी मुद्रांक कर एवं कमी पंजीयन शुल्क का रेफरेन्स तैयार कर रेफरेन्सानुसार कमी मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क वसूल करने हेतु कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष प्रस्तुत किये गये। उनका कथन है कि कलेक्टर (मुद्रांक) ने भी बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये उप पंजीयक द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्सों स्वीकार किया गया है,जो नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के विरूद्ध है।

बहस के दौरान प्रस्तुत की गई के परिप्रेक्ष्य में रेकार्ड का अवलोकन किया गया,जिससे स्पष्ट होता है कि कलेक्टर (मुद्रांक) ने प्रार्थी निगरानीकर्ताओं को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है,क्योंकि रेकार्ड पर ऐसा कोई दस्तावेजीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे ऐसा प्रतीत होता हो कि सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है,जिससे प्रार्थी निगरानीकर्ताओं के विद्वान अभिभाषक के इस तर्क को बल मिलता है कि कलेक्टर (मुद्रांक) ने विवादाधीन निर्णय दिनांक 06.01.2014 पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात न्याय हित में कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित किये गये पृथक–पृथक निर्णय दिनंक 06.01.2014 को अपास्त कर प्रकरण कलेक्टर (मुद्रांक) को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थी निगरानीकर्ताओं को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात इस निर्णय की प्राप्ति के 90 दिन के भीतर न्याय संगत निर्णय पारित करें। प्रार्थी निगरानीकर्ताओं को भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह इस निर्णय की प्राप्ति के 30 की अवधि के भीतर सभी दस्तावेज लेकर कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष उपस्थित होकर निर्णय पारित करने में सहयोग करें।

फलस्वरूप सभी निगरानी स्वीकार कर प्रकरण कलेक्टर (मुद्रांक) को पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाते है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य